(69)

संख्याः– 582 /XXVII(1)/ 2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून:: दिनांकः 12 : अक्टूबर,2011

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समनुदेशन के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त की धनराशि का तदर्थ आधार पर संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त की धनराशि को तदर्थ आधार पर **₹52900000.00 (₹ पाँच करोड़ उन्नतीस लाख मात्र)** को निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

1–संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमः वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

2–कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3– संक्रमित धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्याः–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के अनुसार व्यय की जायेगी। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही बदलाव अनुमन्य होगा।

4– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5– उपयोग प्रमाण–पत्र सम्बंधित आयुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा।